संख्या–(9 –दो–(6)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2004

प्रेषक,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तरांचल,
नैनीताल ।

देहरादून : दिनांक 24 दिसम्बर, 2004

न्याय अनुभाग :

विषय:- वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–201/2004–05, दिनांक 30.11.2004 एवं शासनादेश संख्या–11–दो–(6)/न्याय अनुभाग/2004 दिनांक 31 जुलाई, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में निम्न विवरणानुसार अतिरिक्त धनराशि के व्यय की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :–

शीर्षक/मानक मद	धनराशि (हजार रुपये में)
114–विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)–03–महाधिवक्ता	
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	2000
योग–03	2000

(रुपये बीस लाख मात्र)

2– कृपया प्रत्येक माह होने वाले व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–8 में अंकित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

3– उपर्युक्त धनराशि बजट मैनुअल के सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी ।

4– कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय ।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014 न्याय प्रशासन–00–आयोजनेतर–114–विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)– 03–महाधिवक्ता–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्रथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,

(यू0 सी0 ध्यानी)
सचिव ।

संख्या – 9 –दो–(6)(1)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग (1)/2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल, गाजरा, देहरादून ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
3– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन ।
4– एन.आई.सी./गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(आर0 डी0 पालीवाल)
अपर सचिव ।